न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67/2023	दायर दिनांक 06.02.2023	निर्णय दिनांक 23-01-2025

उनवान

1. अर्जुन कुमार पुत्र श्री पन्नालाल विश्नोई निवासी समेलिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जितेन्द्र पुत्र श्री पन्नालाल विश्नोई निवासी समेलिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. दुर्गेश कुमार पुत्र श्री पन्नालाल विश्नोई निवासी समेलिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री पन्नालाल विश्नोई निवासी समेलिया तहसील व जिला भीलवाडा

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—— विपक्षी

उपस्थितः— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से पृथ्वीराज चौधरी
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिलाभीलवाडा में आराजी नम्बर 180 रकबा 01—06 बीघा, आराजी नम्बर 181 रकबा 01—18 बीघा, आराजी नम्बर 183 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 184 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 05 पांच रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित थी, जो दौलतराम, ईश्वर लाल, पन्ना लाल पुत्र श्री डालू विश्नोई निवासीयान् समेलिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खातेदारी हक अधिकार से दर्ज थी, जिसका सहमति से बटवाड़ा हुआ, जिसमे दौलतराम जी के 03 बीघा 17 बिस्वा, ईश्वर लाल जी के 03 बीघा 17 बिस्वा, पन्ना लाल जी के 03 बीघा 17 बिस्वा रखी गयी व आराजी नम्बर 181/3 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 01 बिस्वा शामलाती रखा गया। इस प्रकार तीनो भाई दौलतराम, पन्ना लाल, ईश्वर लाल के बराबर 03 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे दर्ज कर तरमीम की गयी परन्तु राजस्व नक्शे में तीनो की बराबर तरमीम करनी थी जो नही कर रोड़ की तरफ फ्रन्ट में दौलतराम जी के खाते मे अधिक 162. 5 फीट व उससे कम ईश्वर लाल जी के 131.9 फीट व सबसे कम 106.9 फीट पन्ना लाल के तरमीम कर दी जो राजस्व नक्शे का अवलोकन करने मात्र से ही जाहिर हो रहा है। आम रास्ता डामरीकरण की तरफ तीनो को तरमीम बराबर होनी चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हुक्म की ...

वादीगण के पिता पन्ना लाल के भाई दौलतराम जी व ईश्वर लाल के वारीसान द्वारा अन्य को जमीन विक्रय करने व मोके पर केता द्वारा कब्जा करने आये व हम प्रार्थीगण के कब्जे के अन्दर केता की जमीन होना बताया, उसी समय राजस्व रेकार्ड जमाबंदी, बटवाड़ा राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रति निकलवायी तो जानकारी में आया कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 180/1 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 181/1 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/1 रकबा 0. 3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/4 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/5 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 0.9737 हैक्टयर है व दौलतराम एवं ईश्वर लाल के आराजी नम्बर 180/2 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 181/2 रकबा 0.1517 हैक्टयर, आराजी नम्बर 182/1 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 183/1 रकबा 0.1265 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/2 रकबा 0.4426 हेक्टयर कुल किंता 05 रकबा 0.9737 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 182/2 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 183/2 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/3 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0. 9737 हैक्टयर। परन्तु राजस्व नक्शे मे रकबा अनुसार तरमीम नही होकर कम तरमीम की गयी, मौके पर बराबर रकबे अनुसार काबिज है। जिसको नक्शे मे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०) मे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 180/1 रकबा 0.2403 हैक्टयर, आराजी नम्बर 181/1 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/1 रकबा 0.3794 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/4 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 184/5 रकबा 0.0126 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 0.9737 हैक्टयर भूमि को मौके पर मुख्य रास्ते की तरफ समान रूप से कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 2993 दिनांक 28.11.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम माधोपुर के आराजी नम्बर 180, 181, 183, 183, 184 किता 05 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 27.12.2001 से सहमति विभाजन होकर सह खातेदारों के अलग–अलग दर्ज हुई इस पकार आराजी नम्बर 180 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 181/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 184/1 रकबा 0.3794 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 184/4 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 184/5 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 0.97337 हैक्टेयर भूमि अर्जुन कुमार 1/4, जितेन्द्र कुमार 1/4, दुर्गेशकुमार 1/4, हितेन्द्र कुमार 1/4 पिता पन्नालाल विश्नोई सा0 नया समेलिया के नाम दर्ज हुई। मुताबिक विभाजन के आराजी नम्बर 180, 181, 182, 183, 184 किता 05 रकबा 11–13बीघा भूमि के तीन बराबर टुकडे क्रमशः 3–17 बीघा प्रत्येक खातेदार के दर्ज हुई व 0–02 बीघ़ा शामलाती रही।

वादीगण के नाम दर्ज भूमि का तहसीलदार भीलवाडा द्वारा मौका देखा गया मौके पर वादीगण अर्जुनकुमार, जितेन्द्रकुमार, दुर्गेशकुमार, हितेन्द्रकुमार पिता पन्नालाल विश्नोई का कब्जा रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार बराबर रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि पर है। परन्तु लठ्ठा नक्शा में वादीगण के नाम दर्ज आराजियात की तरमीम सही नहीं की गई यानि तरमीम अनुसार रकबा कम आ रहा है। शामलाती आराजी नम्बर 181/3 का रकबा जमाबन्दी में 0.0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0478 हैक्टेयर है, आराजी नम्बर 182/3 का रकबा जमाबन्दी में 0. 0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0453 हैक्टेयर है अर्थात् ज्यादा है मौके पर सभी खातेदार तथा वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है। वादीगण अपने नाम पर दर्ज आराजियात की तरमीम कब्जा अनुसार करवाना चाहते है मौके पर वादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि के पूर्वी व पश्चिमी मेड पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अतः वादीगण के नाम दर्ज आराजियात की तरमीम मौके के अनुसार किया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। मौके पर वादीगण अुर्जनकुमार, जितेन्द्रकुमार, दुर्गेशकुमार, हितेन्द्रकुमार पिता पन्नालाल विश्नोई का कब्जा रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार बराबर रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि पर है। परन्तु लठ्ठा नक्शा में वादीगण के नाम दर्ज आराजियात की तरमीम सही नहीं की गई यानि तरमीम अनुसार रकबा कम आ रहा है जो निम्नानुसार है :– शामलाती आराजी नम्बर 181/3 का रकबा जमाबन्दी में 0.0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0478 हैक्टेयर है अर्थात् ज्यादा है, जिसे जमाबन्दी अनुसार लठ्ठा नक्शा में 0.0126 हैक्टेयर किया जाना है एवं आराजी नम्बर 182/3 का रकबा जमाबन्दी में 0.0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0453 हैक्टेयर है अर्थात् ज्यादा है जिसे जमाबन्दी अनुसार लठ्ठा नक्शा में 0.0126 हैक्टेयर किया जाना है मौके पर सभी खातेदार तथा वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है। शामलाती आराजी नम्बर 181/3 व 182/3 के भू–नक्शा/लठ्ठा नक्शें में जमाबन्दी अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 129, 131 व 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

–:आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 181/3 का रकबा जमाबन्दी में 0.0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0478 हैक्टेयर है अर्थात् 0.352 हैक्टैयर ज्यादा है, जिसे जमाबन्दी अनुसार लठ्ठा नक्शा में 0.0126 हैक्टेयर किया जाना है एवं आराजी नम्बर 182/3 का रकबा जमाबन्दी में 0.0126 हैक्टेयर है जबकि लठ्ठा नक्शा में 0.0453 हैक्टेयर है अर्थात् 0.0327 हैक्टेयर ज्यादा है जिसे जमाबन्दी अनुसार लठ्ठा नक्शा में 0.0126 हैक्टेयर शुद्धि करने के एंवं मौके पर सभी खातेदार तथा वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है। मौके पर वादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि के पूर्वी व पश्चिमी मेड पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अतः वादीगण के नाम दर्ज आराजियात की तरमीम तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। लठ्ठा नक्शा दुरूस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख/नक्शें में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा